

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग


बीमा भवन जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर-302018

क्रमांक:-एफ 3/सा.प्र./डेजर्ट कुलर रख रखाव/2021-22/ 3888

दि 9.3.2020

सीमित निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की ओर से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग मुख्यालय जयपुर, (नवीन ग्रामीण भवन सहित) में डेजर्ट कुलरों की मरम्मत, रख रखाव एवं प्रतिदिन पानी भरने हेतु कार्य करवाने हेतु रजि. फर्म /कम्पनी संस्था से दरे आमंत्रित की जाती है। सम्बन्धित फर्म/कम्पनी/संस्था निर्धारित निविदा प्रपत्र में दिनांक 23.03.2021 सांय 3.00 बजे तक कार्यालय में भरकर प्रस्तुत करनी होगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें राजस्थान उपापन पोर्टल (<http://sppp.rajnic.in>) एवं विभाग की वेबसाईट www.sipf.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, जयपुर के कार्यालय से कार्यालय समय में दिनांक: 23.03.2021 को सांय: 2.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा दिनांक 23.03.2021 को सांय: 04.00 बजे खोला जाएगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग
राज0 जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
बीमा भवन जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर-302016

(फर्म के लैटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा)

विषय:- डेजर्ट कूलर के मरम्मत, रख रखाव एवं और पानी भरने के कार्य का निविदा प्रपत्र

1. नाम फर्म / कम्पनी / संस्था:-.....

पता :-.....

टेलीफोन :-.....

पैन न :-.....

फर्म का रजि. न :-.....

GST न :-.....

2. संदर्भ निविदा विज्ञापित क्रमांक दिनांक

3. राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग मुख्यालय (नवीन ग्रामीण भवन) सहित में डेजर्ट कूलरों की निम्नानुसार रख रखाव एवं मरम्मत व पानी भरने की दर दी जानी है।

क्र.सं.	विवरण	दर रु प्रति कूलर प्रति माह (दरें सभी कर सहित)
1	डेजर्ट कूलर के मरम्मत, रख रखाव व प्रतिदिन कूलरों में पानी भरने के कार्य सहित	

4. राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग मुख्यालय, जयपुर (नवीन ग्रामीण भवन) सहित लगभग 135 कूलरों का मरम्मत, रख रखाव एवं प्रतिदिन समस्त कूलरों में पानी भरने का कार्य करवाया जाना है। डेजर्ट कूलरों की मात्रा में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है।

5. दरें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मान्य होंगी डेजर्ट कूलर रख रखाव व मरम्मत कार्य मय सामान्य कूलरों में पानी भरने के कार्य सामान्यतः तीन माह के लिए करवाया जायेगा। उक्त अवधि में कमी व बढ़ोतरी भी की जा सकती हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग

डेजर्ट कूलर के मरम्मत, रख रखाव और पानी भरने के कार्य की निविदा की सामान्य शर्तें

1. डेजर्ट कूलर के मरम्मत, रख रखाव एवं प्रतिदिन पानी भरने हेतु संस्थाओं द्वारा प्रति कूलर की प्रति माह की दर प्रस्तुत करनी है। प्रत्येक कूलर को आवश्यकता अनुसार मोटर, में ऑयलींग ग्रीस, वायरिंग का कार्य कर चालू करवाया जाएगा। प्रत्येक कूलर में नयी टाटियाँ एवं रबरकोट करना होगा। डेजर्ट कूलर को चालू करने हेतु लगाने वाला सामान फर्म द्वारा ही स्वयं के खर्च पर करना होगा। सम्बन्धित फर्म का लगाये गये सामान पर अधिकार नहीं होगा।
2. डेजर्ट कूलर मरम्मत, रख रखाव एवं प्रतिदिन पानी भरने हेतु के कार्य का भुगतान तभी किया जावेगा जबकि सम्बन्धित डेजर्ट कूलर पूरे माह सही प्रकार से कार्य करेगा। इस सम्बन्ध में विभाग के केयर टेकर / सहायक केयर टेकर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा।
3. डेजर्ट कूलर रख रखाव अवधि में यदि बन्द रहा तो बंद कूलर को ठीक करने के लिए सूचित किये जाने से एक दिवस में ठीक किया जायेगा। एक दिवस के बाद कूलर ठीक नहीं होने पर 50 रु प्रति कूलर प्रति दिन की पेनल्टी अनुबन्धित फर्म पर आरोपित की जायेगी। पेनल्टी की राशि अनुबन्धित फर्म के मासिक बिल से काटी जायेगी।
4. रख रखाव अवधि में डेजर्ट कूलर में मोटर, फेन/पम्प खराब होने पर अनुबन्धित फर्म को अपने खर्च पर ठीक करना होगा। साथ ही ऑयल ग्रीसिंग वायरिंग कनेक्शन कार्य भी अनुबन्धित फर्म द्वारा किया जायेगा। इस हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार का अलग से व्यय देय नहीं होगा।
5. पानी भरने एवं मरम्मत हेतु एक मैकनिक को रखरखाव अवधि में कार्यालय समय में रखना होगा।
6. निविदा अवधि समाप्त होने पर सभी डेजर्ट कूलरों को चालू हालत में केयरटेकर को सम्भलाने होंगे।
7. सफल निविदादाता को 500 रु के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर विभाग को एग्रीमेन्ट भरकर देना होगा एवं कुल देय राशि का 2.5 प्रतिशत रु की प्रतिभूति के रूप में नकद/बैंकर चेक / डी.डी. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर के नाम से जमा करवाने होंगे।
8. रख रखाव अवधि में उत्पन्न होने वाली कोई भी खराबी अनुबन्धित फर्म को स्वयं के खर्च पर ठीक करनी होगी कूलरों को सुचारु रूप से चालू रखना होगा।
9. राजस्थान लोग उपापन में पार्दशिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के सभी उपबन्ध प्रभावी रहेंगे जिसमें निहित शर्तों की पालना के लिए अनुबन्धित फर्म बाध्य होगी।
10. निविदा प्रपत्र स्याहि से भरा जावेगा पेंसिल से भरी हुयी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. किसी प्रकार का विवाद होने पर निदेशक / अति. निदेशक (प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
12. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक / अति. निदेशक (प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर को होगा।
13. निविदा अवधि में कार्य में होने वाली किसी भी दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था / निविदादाता की होगी।
14. उक्त कार्यों हेतु निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक 23.03.2021 सांय 3.00 बजे तक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग
राज0 जयपुर

मैं / हम निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी निविदा संख्या वर्ष दिनांक में वर्णित सभी शर्तों को भली भाँति पढ़ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पालना करने के लिए सहमत है एवं सहमति के स्वरूप मेरे / हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर